रजिस्ट्रे सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 1971/श्रावण 15, 1893

No. 135] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 1971/SRAVANA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August 1971

G.S.R. 1143.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts with immediate effect upto the 4th September, 1971, Shri Jawahar Lal Oswal, s/o Shri Vidya Sagar, of Oswal Woollen Mills Ltd. Ludhiana-3, from the operation of the provisions of clause (e) of Sub-Section (3) of Section 10, of the Passports Act, 1967.

[No. VI/405/1/42/70.]

P. N. MENON, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1971

जी० एस० आर० 1143.—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समझते हुए कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि ओसवाल वूलन मिल्स लि०, लुधियाना—3 के श्री जवाहर लाल ओसवाल सुपुत्र श्री विद्या सागर को इसी समय से 4 सितम्बर, 1971 तक, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 की उपधारा (3) के खण्ड (ङ) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

[सं० वी० आई०—1/605/1/42/70]

पी० एन० मेनन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971